RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-08
August-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i08.057

अम्बेडकर दर्शन और दलितोत्थान (पश्चिम निमाड़ के महादलितों के विशेष संदर्भ में)

अर्चना कुमारी

शोध–छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

प्रस्तावना :

यह शोध इस उद्देश्य से लिया गया है कि धार्मिक व्यक्ति का समाज सुधारक, राजनैतिक नेता, चाहे वे उच्च या निम्न वर्ग के, चाहे हरिजन–आदिवासी हों या पिछड़े वर्ग के, चाहे जिस दल या मत के हो, इससे एक प्रेरणा मिले, एक रास्ता निकले। सदियों से शोषित लोगों के उत्थान व कल्याण का आरक्षित वर्ग में व्याप्त मिथ्या भ्रम मिटे तथा वे देश के जागरुक नागरिक बन सकें। इन्हें भी सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय मिले जो हमारे संविधान निर्माताओं का महान संकल्प था। समाप्त हो अन्याय, पक्षपात तथा अधिकार हरण का वातावरण, शासन–प्रशासन में उपेक्षित वर्गों की न्यायोचित भागीदारी हो ताकि उनमें व्याप्त निराशा के स्थान पर एक आत्मविश्वास जाग सके। वे भी देश के समझदार व जागरुक नागरिक बनकर राष्ट्र की एक मजबूत कड़ी बन सकें।

इस शोध का उद्देश्य आरक्षित वर्गों की स्थिति के लिये उन ऐतिहासिक तथा धार्मिक व्यवस्थाओं का सिंहावलोकन करना है जिससे पिछड़ेपन व विपन्नता को जन्म दिया। सदियों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था तथा जाति प्रथा में अनेक प्रकार के गुण एवं दोष विद्वानों के गहन अध्ययन में विश्लेषित किये गये हैं। यह बात निर्विवाद रुप से सही है कि वर्ग तथा जाति व्यवस्था का निर्माण एक अत्यंत कुटिलतापूर्ण कार्य था, जिसके द्वारा बहुसंख्यक मेहनतकश वर्ग को विभिन्न श्रेणियों में बाँट कर रखा गया। उनमें ऊँच–नीच की भावना को भर, श्रेणीबद्ध समाज की रचना की गई। वर्ण व्यवस्था को भगवान द्वारा निर्मित बता कर उसे धर्म से जोड़ दिया गया व उसे स्थायी रुप से दृढ़ किया गया। जिसके कारण निहित स्वार्थ वालों के शोषण की जड़ें गहरी हो गई तथा वे मान–मर्यादा के शीर्ष पर बैठकर पीढ़ी–दर–पीढ़ी नीचे की श्रेणी के लोगों का सदियों तक निर्ममतापूर्वक शोषण करते रहे।

अध्ययन में पाते हैं कि दलित न तो वेदों का अध्ययन कर सकता था और न ही उन्हें धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार था। मनुस्मृति में कहा गया था कि अगर किसी दलित ने श्लोकों को सुना है तो उसके कान में उबलता हुआ तेल डाल दें, अगर श्लोकों का उच्चारण किया है तो उसकी जबान काट दी जाए। साथ ही साथ अगर किसी दलित ने किसी ब्राह्मण को जिस अंग से हानि पहुँचाई तो उसके उस अंग को काट दिया जाता था। अगर कोई दलित गाँवों में प्रवेश करता था तो उसे एक विशेष चिन्ह लेकर चलना पड़ता था जैसे हाथ में लकड़ी, गले में हड्डी तथा कमर में झाड़ू बाँधकर चलना होता था जिससे कि उनकी पहचान हो और सवर्ण उनको पहचान सकें व दूर से निकल जाएँ। इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाकर रखी थी।

इस प्रकार की सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति बनी हुई थी। इसको दूर करने का प्रयास विभिन्न संतों के द्वारा किया गया जैसे – महात्मा बुद्ध, कबीर, रैदास, अछूतानंद, तुकाराम, महात्मा ज्योतिबा राव फूले, सांई साहूजी महाराज आदि। महात्मा गांधी ने भी दलितोत्थान हेतु प्रयास किया तथा उन्हें हरिजन नामक सम्मान सूचक शब्द प्रदान किया।

डॉ भीमराव अम्बेडकर संघर्ष के प्रतीक थे। उनकी लड़ाई बाहरी लोगों से कम अपने लोगों से अधिक थी। वे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के स्थान पर ब्राह्मण उपनिवेशवाद को समाप्त करना ज्यादा आवश्यक मानते थे। उनका मत था कि ब्राह्मणों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया और वर्ण एवं जाति की रचना की। अतीत में जब तलवार की ताकत थी तो उन्होंने क्षत्रियों से समझौता किया और आज जब पैसे का महत्व बढ़ा है तो वैश्यों से मिल गये हैं।

20 मार्च 1924 को डॉ अम्बेडकर ने कोबाला जिले के महाद नगर के चौदार तालाब से पानी लेने के लिये दलितों के एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह महाद सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 25 दिसम्बर 1927 को डॉ अम्बेडकर ने ब्राह्मणों के विशेषाधिकार जात–पात की जननी एवं दलितों की दासता की प्रकृति मनुस्मृति को जलाया।

समस्त दलितों को एक मंच पर लाने और उन्हें राष्ट्रीय जनसंख्या में एक पृथक तत्व के रुप में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से डॉ अम्बेडकर ने ऑल इण्डिया शिड्यूल्ड कास्टस् की स्थापना की। दलितों के सम्मान व हितों की रक्षा की दृष्टि से डॉ अम्बेडकर ने दलित युवकों का ऐच्छिक संगठन 'समता सैनिक दल' का गठन किया। इस गठन का उद्देश्य सामाजिक असमानता एवं अन्य सामाजिक कुरितीयों के विरुद्ध संघर्ष करना था। आगे चलकर अम्बेडकर ने "बहिष्कृत हितकारिणी" सभा को बंद कर दिया और उसकी जगह "डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसायटी" की स्थापना की।

डॉ. अम्बेडकर का दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार तब तक प्रभावकारी नहीं हो सकते जब तक कि दलित को शासन में भागीदारी प्राप्त नहीं होती। दलित एवं श्रमिकों को राजनैतिक शक्ति के रुप में संगठित करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए डॉ. अम्बेडकर ने "इण्डिपेण्डेन्ट लेबर पाटी" का गठन किया। आगे चलकर उनके निर्देशों पर दलितों

RRIJM 2015, All Rights Reserved

ने विशेष रुप से अम्बेडकरवादियों ने "भारतीय रिपब्लिकन पार्टी" के झण्डे तले अपना राजनैतिक मोर्चा संभाला। डॉ. अम्बेडकर की मृत्यु के पश्चात नेतृत्व की लड़ाई तथा आपसी फूट के कारण यह दल कुछ वर्षों में बिखर गया।

स्वतंत्र भारत के संविधान में दलितों की अनेक निर्योग्यताओं को दूर करने लिये निम्नलिखित उपाय किये गये, अनुच्छेद–15 राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा उनमें किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद–16 राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में समस्त नागरिकों के लिये अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद–17 अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रुप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अनुच्छेद–29 राज्यनिधि द्वारा घोषित अथवा राज्यनिधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित न किया जायेगा। अनुच्छेद–38 राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कार्यसाधन के रुप में स्थापना और संरक्षण करके लोक–कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। अनुच्छेद – 46 राज्य जनता के दुर्बलतम विभागों की विशेषतः अनुसूचित जातियों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय व सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 केन्द्रीय सरकार ने संविधान के अनुच्छेद–15 को विस्तारपूर्वक लागू करने के लिये इस अधिनियम को पारित किया और यह कानून के रुप में 1 जून 1955 से लागू हुआ। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून 1976 केन्द्रीय सरकार के प्रयासों के फलस्वरुप अस्पृश्यता के अपराध के लिये कड़े दण्ड के प्रावधान का नया कानून 19 नवंबर 1976 से लागू कर दिया गया है। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, अस्पृश्यता अपराध कानून–1955 में किये गये संशोधन से अस्तित्व में आया है। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता के अपराध के लिये दण्डित लोग संसद और विधानसभा के चुनाव में खड़े नहीं हो सकेंगे। संविधन के अनुच्छेद–330 तथा 332 के अनुसार राज्यों को अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में इन लोगों के लिये लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा में स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। संविधान के अनुच्छेद–335 में व्यवस्था है कि संघ और राज्यों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करते समय प्रशासन की कुशलता को कायम रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के दावों का ध्यान रखा जायेगा।

उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से दलितों की आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि दलितों की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार के ऊपर छोड़ देना उचित नहीं है, इसलिये बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किए जिससे इनका विकास व उत्थान हो सके और आज इसका लाभ इनको मिल रहा है । यह सब अम्बेडकर दर्शन से संभव हो सका है।

डॉ. अम्बेडकर ने दलितों को सलाह दी कि वे कांग्रेस के निकट नहीं आयें। अपना पृथक अस्तित्व एवं संगठन रखें अन्याथा कीचड़ की भाँति उन्हें कांग्रेस रुपी सागर समा लेगा। जहां तक उनका स्वयं का प्रश्न है, उनका कहना था कि – "मैं एक पत्थर हूँ। मुझे पचाना कांग्रेस के लिये संभव नहीं है।" डॉ. अम्बेडकर ने दलितों को सावधान किया कि बालिग मताधिकार ने सत्ता जनता के हाथों में सौंप दी है। यदि दलित और पिछड़े वर्ग के लोग एक हो जायें तो वे राजनैतिक शक्ति पर कब्जा कर सकते हैं। दलितों में स्वतंत्रता, समानता और स्वाभिमान से जीवन बिताने की इच्छा होनी चाहिये और इसके लिये उनके सुझाव थे – 1. दलित संगठित हों 2. शिक्षित हों और 3. अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करें।

स्वतंत्र भारत में दलितों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किये जाने के बारे में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन की ओर से सन् 1946 में डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। डॉ. अम्बेडकर के ज्ञापन की अधिकांश माँग संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर ली गई और उन्हें वैधानिक स्वरुप प्रदान कर दिया गया। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। व्यक्ति को, न कि जाति, वंश या धर्म को राज्य की ईकाई माना गया। दलितों की सामाजिक निर्योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंतर्गत विशेष संरक्षण व सुविधाएँ प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत संवैधानिक आधार प्रदान करके संविधान ने दलितों को सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के बावजूद राजनैतिक आधार पर अपने हितों को सुरक्षित रखने में पूर्णतः सक्षम बना दिया।

1. मोहनदास नैमिशाय, "दलित पत्रकारिता सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन", श्री नटराजन प्रकाशन नई दिल्ली, 2005 –
   दलित पत्रकारिता में दलितों की राजनीतिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार स्वतंत्रता के बाद दलितों का राजनीतिक शोषण हुआ है, साथ ही साथ दलितों का वोट बैंक के रुप में कैसे उपयोग किया गया। इसमे यह भी बताया गया है कि स्वयं दलित नेताओं ने भी दलितों का किस प्रकार शोषण किया है।
2. डॉ. तारा परमार, "अनुसूचित जातियों के हितों के लिये डॉ. अम्बेडकर की भूमिका", पब्लिकेशन स्कीम – जयपुर,1999
   डॉ. तारा परमार ने इसमें डॉ. अम्बेडकर के स्वतंत्रता के पूर्व व बाद में अनुसूचित जातियों के विकास व कल्याण में जो योगदान दिया है उसका वर्णन इसमें किया गया है।
3. रघुवीर सिंह, "डॉ, अम्बेडकर और दलित चेतना", कामना प्रकाशन दिल्ली, 2000
   प्रस्तुत पुस्तक एक आह्वान है उन बुद्धिजीवियों का जो गाँव से निकलकर शहर में आये हैं। उन्हें उनकी जन्म

भूमि बुला रही है, उनके पढ़े–लिखे माँ–बाप, भाई–बहन का अंतःकरण याद करता है। उस समय जब उनके ऊपर कोई अन्याय होता है तो वे गरीब असहाय, अशिक्षित, ठगे से रह जाते हैं, महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है।

4. प्रो. परमानंद सिंह यादव, डॉ. प्रमोद कुमार, "डॉ. अम्बेडकर और एक मनुवादी विश्लेषण", – कल्पना पब्लिकेशन दिल्ली, 2005
"डॉ. अम्बेडकर और एक मनुवादी विश्लेषण" नामक पुस्तक में बताया गया है कि डॉ. अम्बेडकर के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं वैचारिक दर्शन के सम्पूर्ण परिशीलन से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता संग्राम के तमाम नेताओं की प्रासंगिकता समाप्त हो गयी है, लेकिन डॉ. अम्बेडकर की प्रासंगिक दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके त्रिपदीय संदेशों समता, स्वतंत्रता, भाई–चारा, शिक्षित बनों, संघर्ष करो, संगठित रहो, बुद्ध धम्म एवं संघ की प्रासंगिता तब तक भारतीय समाज में बनी रहेगी जब तक कि यह जन्म एवं जाति के आधार पर ऊँच–नीच की भावना बनी रहेगी। डॉ. अम्बेडकर उन सभी देशों और काल में प्रासंगिक बने रहेंगे जहाँ सामाजिक, आर्थिक, गैर बराबरी रहेगी। अन्याय होगा, शोषण और अत्याचार रहेगा।
5. बी.एल.मेघवाल व आर.ए.एस., "भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर", संघवी प्रकाश जयपुर, 1990
इस पुस्तक में बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार देश में अशांति व अव्यवस्था फैली स्वतंत्रता के बाद प्रथम वर्ष संविधान निर्माण में किस प्रकार खींचतान हुई और उस खींचतान मे डॉ. अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें प्रारुप समिति का अध्यक्ष बनाया गया तथा उन्होंने विधि मंत्री के रुप में हिन्दू बिल कोड को प्रस्तुत किया।

1. डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि दलित शिक्षित हों, संगठित हों और संघर्ष करो को पश्चिम निमाड़ के दलितों ने उनके इन विचारों को कहां तक आत्मसात किया। यह मेरे शोध की परिकल्पना है और मैं शोध के माध्यम से पता लगाना चाहता हूँ।
2. डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि दलित मुर्दा जानवरों का माँस खाना छोड़ दे, मुर्दा जानवरों की खाल उतारना छोड़ दे तथा भीख माँगना छोड़ दे । पश्चिम निमाड़ के दलितों ने इसको कहाँ तक आत्मसात किया । शोध के माध्यम से जानना मेरी जिज्ञासा का विषय है।
3. अम्बेडकर दर्शन और दलितोत्थान शोध के माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही है। क्या पश्चिम निमाड़ के दलितों के साथ आज भी छुआछूत किया जाता है या इसका अंत हो चुका है। इसकी वास्तविकता का अध्ययन करना मेरी परिकल्पना है और मैं शोध के माध्यम से परखना चाहता हूँ।
4. अम्बेडकर दर्शन में कहा गया कि दलितों को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना होगा तभी ये विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे, इसके लिये उन्होंने दलितों से कहा था कि दलित माँस, मदिरा, आलस्य व अकर्मण्यता का त्याग करें। क्या अम्बेडकर के इन विचारों का पश्चिम निमाड़ के दलितों ने कहाँ तक अनुसरण किया। इसको मैं अपने शोध के माध्यम से जानना चाहता हूँ।
5. मेरे शोधकी परिकल्पना भी है कि पश्चिम निमाड़ के दलितों की वास्तविकता पता लगाना चाहता हूँ कि इनके पास कितनी कृषि भूमि है । यह मैं शोध के माध्यम से पता लगाना चाहता हूँ।
6. डॉ. अम्बेडकर ने दलितोत्थान हेतु कहा था कि दलित अपने बच्चों को स्कूल भेजें । पश्चिम निमाड़ के दलितों ने अम्बेडकर के इस ब्रह्म वाक्य को कहां तक आत्मसात किया है ? यह मेरे शोध की परिकल्पना है और मैं इसे अपने शोध के माध्यम से परखना चाहता हूँ।
7. मेरे शोध की परिकल्पना यह है कि पश्चिम निमाड़ के दलितों में राजनीतिक जागरुकता आई है या नहीं फिर ये लोग आज भी एक रबर की मोहर की तरह इस्तेमाल किये जाते है। इसे अपने शोध के माध्यम से परखना चाहता हूँ।
8. अम्बेडकर ने दलितोत्थान हेतु कहा था कि इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिये सरकारों को प्रयास करना चाहिये। केन्द्र व राज्य सरकारों ने इनकी स्थिति को सुधारने के जो प्रयास किये क्या सही मायने में उस स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। इसे अपने शोध के माध्यम से परखना चाहता हूँ।
9. इस शोध को लेकर मेरी जिज्ञासा है कि मैं डॉ. अम्बेडकर उनके दर्शन, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और भारत में दलितों को की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का ऐतिहासिक सिंहावलोकन और वर्तमान स्थिति की वास्तविकता का पता लगाने कि मेरी जिज्ञासा है ताकि अम्बेडकर दर्शन और दलितों को लेकर मेरी कई परिकल्पनाएँ उनको मैं इस शोध के माध्यम से परखना चाहता हूँ।
10. मेरी परिकल्पना है कि क्या अम्बेडकर दर्शन के माध्यम से पश्चिम निमाड़ के दलितों का उत्थान हुआ है या नहीं। इस परिकल्पना को शोध के माध्यम से परखना चाहता हूँ।

दलितोत्थान हेतु समय–समय पर अनेक कार्य किये गये हैं। स्वतंत्रता के बाद दलितों की स्थिति या दलितोत्थान हेतु संवैधानिक प्रावधान किये गये हैं, साथ ही साथ दलितों की स्थिति में सुधार हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे

समय पर उनका अध्ययन एवं मूल्यांकन करना सर्वथा उपयुक्त एवं समयानुकूल है। अध्ययन के उद्देश्य निम्नानुसार हैं –

1. केन्द्रीय व राज्य की सरकारें दलितों के उत्थान व विकास के लिये जो कार्य कर रही हैं उनके संतोषजनक परिणाम निकले हैं या सुधार की जरुरत है।
2. अनुच्छेद–17 में अस्पृश्यता अंत की जो बात कही गई है उसका अंत पश्चिम निमाड़ में हुआ है या नहीं।
3. मेरे शोध का उद्देश्य यह भी है कि रुढ़ियों और परम्पराओं से बंधे ये दलित वर्ग किस तरह ऊँचे वर्ग के हाथों छले जाते हैं। इन दलितों को अपने अधिकारों का ज्ञान है या संशय के घेरे में है।
4. शोध का उद्देश्य यह जानना है कि किस प्रकार उच्च वर्ग दलितों का राजनीतिक शोषण कर रहा है। आज हम देखते हैं कि चुनाव के समय इन दलितों का एक शराब की बोतल देकर इनका बहुमूल्य मत किस प्रकार प्राप्त करते हैं।
5. दलितों में शिक्षा का विकास किस स्तर तक हुआ है और उनको शिक्षित कैसे किया जाये कि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाये व देश की उन्नति तथा विकास में सहायता प्रदान करे यह जानना भी शोध का उद्देश्य है।
6. दलितों की स्थिति में सुधार हेतु जो संवैधानिक सुविधाएँ, आरक्षण एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। शोध द्वारा यह जानना कि इसके द्वारा उनकी स्थिति में कहाँ तक सुधार हुआ है।
7. दलितोत्थान हेतु जिन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है वे प्रावधानों तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जा रहा है या नहीं।
8. दलितों की स्थिति को सुधारने में आ रही कठिनाइयों का अध्ययन भी शोध का उद्देश्य है।
9. मेरे शोध का अंतिम उद्देश्य यह भी है कि प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सुझाव देना।

शोध समस्या हेतु अनुसंधान की व्यापक योजना बनाने के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण कार्य सूचनाओं एवं समंकों का संकलन करना होता है। जिनका अध्ययन एवं विश्लेषण करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। अनुसंधान कार्य की सफलता पक्षपात रहित एवं तटस्थ सूचनाओं, तथ्यों एवं समंकों के सुचारु एकत्रीकरण एवं विश्लेषण पर ही निर्भर करती है। समंक एवं सूचनाएँ मुख्य रुप से दो प्रकार की होती हैं –

ये समंक अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं अपने अनुसंधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रथम बार मौलिक रुप से संग्रहित किये जाते हैं। प्राथमिक समंक संग्रहण की गई विधियाँ जैसे – व्यक्तिगत साक्षात्कार अनुसूचियाँ, प्रश्नावली के माध्यम से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान आदि।

ऐसे समंक जिसका संकलन पूर्व में किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा चुका है तथा शोधकर्ता उन्हीं समंकों को अपने शोधकार्य में उपयोग में लाता है, द्वितीय समंक कहलाते हैं। ये प्रकाशित या अप्रकाशित रुप में हो सकते हैं, इनके स्त्रोत प्रमुख रुप से शासकीय या निजी संस्थाएँ, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ आदि हो सकते हैं, इनका उपयोग अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिये।

प्रस्तुत शोध हेतु निम्न स्त्रोत तथा प्रविधियों का उपयोग करूँगा –

1. समकालीन शासकीय दस्तावेज शासकीय कार्यालयों से प्राप्त जानकारियों, तथा आँकड़े प्राप्त करना।
2. संबंधित दलित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व वरिष्ठ नागरिकों (साक्षात्कार से प्राप्त) से प्राप्त सूचनायें।
3. शोध कार्य में शोधार्थी के द्वारा निदर्शन पद्धति के माध्यम से शोध कार्य को पूरा किया जायेगा। निदर्शन अध्ययन पद्धति के अंतर्गत सभी इकाइयों का अध्ययन न कर समग्र में से कुछ ऐसी इकाइयों को चुना जाता है, जो समस्त इकाइयों का भली–भाँति प्रतिनिधित्व करती हों उसमें अनुसंधानकर्ता अपना ध्यान समग्र में व्यर्थ न गवाँकर कुछ पर ही ध्यान केन्द्रित करता है, जिससे अध्ययन विषय का गहन अध्ययन समय और धन की बचत होती है। शोधार्थी द्वारा 200 व्यक्तियों से जानकारी संग्रहित की जायेगी।
4. संबंधित दलित साहित्य अकादमियें तथा प्रमुख शोध ग्रंथालयों से सामग्री एकत्रित करके विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जायेगा।

1. संदर्भ ग्रंथ
2. पुस्तकें
3. समाचार–पत्र अथवा पत्रिकाएँ
4. विशेषज्ञों के लेख
5. ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति
6. आगमनात्मक अध्ययन पद्धति
7. निगमनात्मक अध्ययन पद्धति
8. साक्षात्कार
9. प्रश्नावली
10. निदर्शन अध्ययन पद्धति

ग्रंथ सूची

1. सदियों का संताप – ओमप्रकाश वाल्मीकि, गौतम बुक सेन्टर, दिल्ली, सं.वर्ष – 2008
2. बस्स ! बहुत हो चुका – ओमप्रकाश वाल्मीकि, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, सं. वर्ष–1997
3. अब और नहीं... – ओमप्रकाश वाल्मीकि, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, सं.वर्ष – 2009

RRIJM 2015, All Rights Reserved

4. सलाम – ओमप्रकाश वाल्मीकि, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, सं.वर्ष–2003
5. घुसपैठिये – ओमप्रकाश वाल्मीकि, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, सं.वर्ष–2003
6. जूठन – ओमप्रकाश वाल्मीकि, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, सं.वर्ष–2008
7. दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र – ओमप्रकाश वाल्मीकि, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, सं.वर्ष–2009
8. भारतीय समाज – श्यामचरण दुबे, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नयी दिल्ली, पहला सं.2001
9. मौर्य साम्राज्य का इतिहास – सत्यकेत् विद्यालंकार, श्री सरस्वती सदन, नई दिल्ली, सं.वर्ष –2000
10. दलित संघर्ष और सामाजिक न्याय – डॉ. पूरण मल, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपूर (राजस्थान), सं.वर्ष–2002
11. जाति–व्यवस्था – डॉ. नर्मदेश्वर प्रसाद, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, सं.वर्ष–1965
12. प्राचीन भारत का इतिहास – डॉ. विमलचन्द्र पाण्डेय, एस.चन्द्र एण्ड कंपनी लि., नई दिल्ली, सं.वर्ष–2003
13. दलित प्रसंग – सं. प्रणव बंदोपाध्याय, शिलालेख प्रकाशन, दिल्ली, सं.वर्ष –1999
14. उत्तर आधुनिकता : बहुआयामी सन्दर्भ पाण्डेय शशिभूषण श्शीतांशुश, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, सं.वर्ष–2010
15. उत्तर आधुनिकता रू कुछ विचार, सं. देवशंकर नवीन, सुशान्त कुमार मिश्र, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, सं.वर्ष–2000
16. उत्तर आधुनिकतावाद और दलित साहित्य – कृष्णदत्त पालीवाल, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, सं.वर्ष–2008
17. आलोचना से आगे – सुधीश पचौरी, राधाकृष्ण प्रकाशन, नयी दिल्ली, सं.वर्ष–2000
18. उत्तर आधुनिकता और मनोहरश्याम जोशी – डॉ. मीना खरात, समता प्रकाशन, कानपुर, सं.वर्ष 2008
19. उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श – सुधीश पचौरी, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, सं.वर्ष–1996
20. आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श – देवेंद्र चौबे, ओरियंट ब्लैक स्वॉन प्रा.लि., नई दिल्ली, सं.वर्ष 2009
21. उत्तर आधुनिक दौर में साहित्य – सुधीश पचौरी, प्रवीण प्रकाशन, दिल्ली, सं.वर्ष–2006
22. अस्पृश्यता एवं दलित चेतना – डॉ. पूरण मल, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर (राज.) सं.वर्ष–2007

RRIJM 2015, All Rights Reserved